















पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या- 290/2021

इस कार्यालय के भर्ती अनुभाग के टिपण्णी संख्या-Ka/227/App/RRB/Panel/Tech III/Elect/SEE/2020 दिनांक-31.05.2021 के आलोक में RRB/ Patna एवं Ranchi में चयनित निम्नलिखित Tech-III Electrical-TRS (लेवल-02) को 06 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरांत Tech-III/ Elect/TRS (लेवल-02) में प्रतिमाह देय वेतन 19900/- एवं अन्य मान्य भत्ता के साथ HHP Loco Shed/ Barauni में पदस्थापित किया जाता है।

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम /समुदाय	जन्म तिथि	पदस्थापित स्टेशन	फोटो	हस्ताक्षर का नमूना / अंगूठा का निशान
01	श्री महेन्द्र कुमार, पिता-हनुमान प्रसाद अलोरिया (SC)	10.09.1986	HHP Loco Shed/ BJU		 श्री महेन्द्र कुमार पूर्व मध्य रेल / सोनपुर
02	श्री चन्द्रदीप प्रसाद पिता-दशरथ प्रसाद गुप्ता (SC)	08.11.1988	HHP Loco Shed/ BJU		 Chandradip Prasad श्री चन्द्रदीप प्रसाद पूर्व मध्य रेल / सोनपुर
03	श्री अविनाश कुमार पिता-दिलीप राय (OBC)	15.08.1994	HHP Loco Shed/ BJU		 Avinash Kumar श्री अविनाश कुमार पूर्व मध्य रेल / सोनपुर
04	श्री विवेक कुमार पिता-राजकुमार प्रसाद (UR)	16.04.1996	HHP Loco Shed/ BJU		 Vivek Kumar श्री विवेक कुमार पूर्व मध्य रेल / सोनपुर
05	श्री दिनेश कुमार पिता-गामदास साह (OBC)	06.12.1992	HHP Loco Shed/ BJU		 Dinesh Kumar श्री दिनेश कुमार पूर्व मध्य रेल / सोनपुर

सहायक कार्यालय अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / सोनपुर

06	श्री अशोक कुमार गीता पिता-दुल्लीराम गीता (ST)	04.09.1995	HHP Loco Shed/BJU		सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल / सोनपुर	
07	श्री संजीव कुमार पिता-विमान प्रसाद मादव (OBC)	03.02.1995	HHP Loco Shed/BJU		सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल / सोनपुर	

उपरोक्त अभ्यर्थी गुप्त-सी श्रेणी के कर्मचारी पर लागू नियमों से शासित होंगे। इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से मानी जायेगी। इन्हें रेलवे प्रादेशिक सेना इकाई में साध वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना इनके द्वारा दिए गये अभिलेखों के सत्यापन एवं पुस्तिस द्वारा आरिजिक जाँच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जाँच रपट प्रतिकूल पाया गया तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिए समाप्त कर दी जायेगी।

नियुक्ति के पश्चात् कम से कम पाँच वर्षों तक रेल सेवा करना अनिवार्य होगा यदि पाँच वर्षों से सेवा कम करने में असमर्थ या रेल सेवा से हटना चाहते हो तो प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा किये गए खर्च एवं दिए गए वृत्तिका प्रशासन को वापस देना होगा। ये दिनांक 30.05.21 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक आदेश हेतु प्रतीक्षारत रहे हैं जिनके प्रशिक्षण अवधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका देय होगा।
उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिपत्र के पत्र संख्या-एन /ई/III/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।
पदस्थापना आदेश वमविई/ टीआरएस/ बरोनी द्वारा आदेशित है।

(विजय इंजीनियर)
सकाधि-III
कृते मरेप्र(का०)सोनपुर
दि. ०५.०६.२१

सं. HHP Loco Shed /BJU / SEE / 2021

प्रतिनिधि-

- 1-महाप्रबंधक/ कार्मिक/ हाजीपुर
- 2- वमविई/ टीआरएस/ बरोनी
- 3-सुकाधि/बिच/बरोनी
- 4-कार्यालय आदेश एवं अभिलेख प्रति
- 4-मंडल मंत्री/ईमीआरकेयू/ ओबीसी, अजा.-अजजा. एशो०/ सोनपुर मंडल

1296
5/6/21
कृते मरेप्र(का०)सोनपुर